राजस्व वाद संख्या:–147/2020
श्यामसुन्दर बनाम मन्जू वगै0
निर्णय दिनांक:– 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:–

श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 147/2020

1. श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण उम्र 80 साल निवासी सूरजगढ़ (मृतक)
   1/1. शिवनन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़
   1/2. शशि शेखर पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ
   1/3 बलराम पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़
   1/4 राकेश पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़
   1/5 सुनीता पुत्री स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़
   1/6 सरिता पुत्री स्व0 श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़

प्रार्थीगण

बनाम

01. मन्जू देवी पत्नी मनोज कुमार जाति महाजन निवासी सूरजगढ जिला झुन्झुनू (नाम हजफ)

1/1. रोहित पुत्र विष्णु जाति दर्जी निवासी वार्ड संख्या 14 चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनु।

1/2. सुनील कुमार पुत्र चन्दगी राम जाति जाट निवासी वार्ड संख्या 19 चिडावा जिला झुन्झुनू।

02. टिल्लूराम पुत्र बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
03. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
04. भागोती पुत्री हनुमान जाति मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनु
05. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
06. सज्जन सिंह पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
07. संतोष पुत्री हनुमान जाते मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
08. सुरेश देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी भापर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू
09. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—147 / 2020
श्यामसुन्दर बनाम मन्जू वगै0
निर्णय दिनांकः— 20.06.2025

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम ग्राम भापर पटवार हल्का काजड़ा तहसील सूरजगढ़ में आवेदक व अनावेदक 1 से 8 भूमि खसरा नं0 213,215,154 खुद काश्त खातेदारी की भूमि स्थित है।

यह कि आवेदक ग्राम भापर हल्का पटवारी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ उपखण्ड सूरजगढ़ में भूमि खसरा नं. 213 रकबा 3.9600 है० आवेदक की काश्त खातेदारी भूमि स्थित है जिसमें आवेदक को आने—जाने व भूमि सुधार विकास हेतु रास्ते की आवश्यकता है अपने मकानो व ट्रैक्टर व कुए पर मोटर लगाने मरम्मत आदि वास्ते लाने ले जाने अन्य, वाहन लाने ले जाने पाईप लाइन बिछाने व कुए मशीन रख रखाव इत्यादि तया फसल ले जाने हेतु वाहन का रास्ता आवश्यक है अनावेदक संख्या 01 के खसरा नं. 215 के उतरी दिशा काजड़ा सूरजगढ़ रोड़ से उतर से दक्षिण भूमि खसरा नं. 215 रकबा 1.2600 है० के लगती म्याल सीव से पूर्वी सीव म्याल से 8 मीटर चौड़ा व व नक्शे में दर्शाये बिंदु ABC तक लंबा जिसका कुल क्षेत्रफल 800 मीटर या 0.08 है लगभग भूमि से रास्ता नजरी नक्शा अनुसार चाहता है जो नजरी नक्शा संलग्न है आवेदक जितनी भूमि रास्ते में आती है उसका वैकल्पिक रूप से आवेदक 01 को अपनी भूमि में से देने को तैयार है व अनावेदक चाहे तो भूमि ले लेवे या राशी जितनी नियामानुसार बनती है आवेदक देने को तैयार है। आवेदक अपनी भूमि खसरा नं. 215 में अनावेदक सं. 3. से 8 तक खसरा नं. 154 ग्राम भापर हल्का पटवारी काजड़ा रकबा 4.7800 है० में अपनी म्याल सीव—सीव रास्ता देने को तैयार है व भूमि के बदले भूमि या नियामानुसार जो राशी बनती है देने को तैयार है।

यह कि अप्रार्थीयों को प्रार्थी रास्ता में जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशी अदा करने को तैयार है राशी प्रतिफल नहीं लेवे तो बदले में सीमा से लगती अपनी भूमि देने को तैयार है प्रार्थी को आने जाने में भारी समस्या का समना करना पड़ रहा है प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता नजरी नक्शा में ABC दर्शाये अनुसार सुविधाजनक है, यह रास्ता उत्तर में काजड़ा सूरजगढ़ जाने वाली सड़क से कटान कार अनावेदक सं. 1 की सीमा से उतर से दक्षिण होते हुए पूर्वी सीमा से सीमा—सीमा (म्याल) से रास्ता उचित है व न्यायाहित में है।

यह कि प्रार्थना—पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक जोत में आने—जाने व वाहन मशिनिरी लाने ले जाने कुए की फसल मण्डी के लिये आने—जाने व भूमि विकास सुचारू हेतु रास्ता 8 मीटर चौड़ा 125 मीटर लगभग लम्बा रास्ता नजरी ABC नक्शे अनुसार घोषित किया जावे व तहसील सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार सुरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या:-147 / 2020
श्यामसुन्दर बनाम मन्जू वगै0
निर्णय दिनांक:- 20.06.2025

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक राजस्व / 2023 / 360 दिनांक 27.05.2024 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व / 2023 / 360 दिनांक 27.05.2024 के साथ पेश नजरी नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 213 मौजा भापर में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 215 अप्रार्थीगण की भूमि में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 92 मीटर जिसमे 04 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 368 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट कमांक राजस्व / 2023 / 360 दिनांक 27.05.2024 के साथ पेश नजरी नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 213 मौजा भापर में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 215 अप्रार्थीगण की भूमि में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे नजरी नक्शे में अंकित बिन्दु ए से बी तक की लम्बाई 92 मीटर जिसमे 04 मीटर चौडाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 368 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि की निर्धारित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर संबधित खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़